अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 299(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा ३ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन), पन्द्रहवां संशोधन नियमावली, 2010 है।
 - (2) ये 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे।
- 2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5 में, उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7क) 67000-79000 रुपये के उच्चतर प्रशासिनक ग्रेड वेतनमान में पदोन्नित पर यदि सेवा का कोई सदस्य उस वर्ष की प्रथम जुलाई, अर्थात् वह तारीख जिसको वह नियम 5 के उप-नियम (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार निचले ग्रेड में बाद में एक वेतनवृद्धि प्राप्त करता है, को अपना वेतन निर्धारण करवाने का विकल्प देता है तो पदोन्नित की तारीख को उसके वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन में 2000 रुपये की राशि जोड़ कर न्यूनतम 67000 रुपये के अध्यधीन किया जाएगा और एक जुलाई को होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तारीख को निचले वेतनमान में आगे का पुन: निर्धारण, उनकी पदोन्नित की तारीख से पूर्व उनके मूल वेतन के मद्देनजर उसमें दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि वाली और दूसरी पदोन्नित वाली, को जोड़कर किया जाएगा।

[फा. सं. 20011/5/2009-अ.भा.से.-II(ख)] यशपाल, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी :--मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में 21 फरवरी, 2008 को सं. सा.का.नि. 108(अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 27 सितम्बर, 2008 की सं. सा.का.नि. 692(अ), 24 मार्च, 2009 की सं. सा.का.नि. 189(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2009 की सं. सा.का.नि. 231(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 की सं. सा.का.नि. 497(अ), दिनांक 20 अगस्त, 2009 की सं. सा.का.नि. 589(अ), दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 की सं. सा.का.नि. 771(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 की सं. सा.का.नि. 894(अ), दिनांक 3 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 172(अ), दिनांक 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 228(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 230(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. 232 (अ), 30 मार्च, 2010 की सा.का.नि. सा.का.नि. 234(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 236(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 238(अ), 30 मार्च, 2010 की सं

सा.का.नि. 240(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 242(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 244(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 246(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 248(अ), 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 250(अ) और 30 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 252(अ), द्वारा संशोधित किए गए थे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5 में दिनांक एक जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से एक नया उप-नियम 7क अंत:स्थापित करके सेवा के सदस्यों के एचएजी स्केल में पदोन्नित होने पर उनके वेतन का निर्धारण करने के लिए उन्हें विकल्प देने का निर्णय लिया है।

यह एतदुद्वारा घोषित किया जाता है कि इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा का कोई सदस्य प्रतिकृल रूप से प्रभावित नहीं होगा।